



संसद में कांग्रेस की मुख्य रणनीतिकार के रूप में उभरीं प्रियंका

पहली बार संसद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन बेहद असरदार नज़र आया

- सूत्रों ने बताया कि, कहाँ बैनर लगाने हैं, कौनसे नारे बोलने हैं, सब प्रियंका गांधी ने तय किया। यहाँ तक कि अब तक चुप रहने वाले सांसदों को बोलने का अवसर दिया गया।
- इसमें सबसे प्रभावी रूप से उभरे नागालैण्ड के एक सांसद, जिन्हें कोई नहीं जानता था, प्रियंका ने उन्हें किरेन रिजीजू को जवाब देने के लिए आगे किया था, उनका भाषण बहुत प्रभावी रहा।
- सूत्रों ने बताया, प्रियंका गांधी ने ही महिला सांसदों से, प्रधानमंत्री जहाँ बैठते हैं, उस जगह का घेराव करवाया और उनकी ही नीति थी कि कांग्रेस सांसद स्पीकर के कक्ष में जाकर जवाब मांगें। इस प्रभावी रणनीति की वजह से ही पहली बार प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं बोल पाए, उन्हें मजबूरन राज्यसभा में जवाब देना पड़ा।
- सूत्रों ने कहा कि प्रियंका गांधी ही राहुल को भूपिंदर हुड्डा के लंच कार्यक्रम में ले गईं, जो वे हर वर्ष मीडिया व विभिन्न नेताओं के लिए आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम में राहुल और प्रियंका आकर्षण का केन्द्र बने रहे।
- पर, इससे राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले उन नेताओं को अवश्य भारी ईर्ष्या हुई, जो अब तक संसद में पार्टी की गतिविधियों को मैनेज करते रहे हैं।

जवाब दिया, और ऐसे कई अन्य उदाहरण सामने आए

जहाँ राहुल गांधी सरकार पर लोकसभा में बोलने की अनुमति न

मिलने को लेकर लगातार हमला बोलते (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असम के मु.मंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 फरवरी। एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, शिक्षाविदों, डॉक्टरों, लेखकों और सेवानिवृत्त नौकरशाहों सहित, 40 से अधिक सूचित नागरिकों (इन्फोर्मड सिटीज़न्स) ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा एक विशेष समुदाय के खिलाफ दिए गए

- 40 से ज्यादा प्रबुद्धजनों, जिनमें डॉक्टर, शिक्षाविद्, लेखक व पूर्व नौकरशाह शामिल हैं, ने हिमन्ता बिस्वा सरमा के खिलाफ अपील की है और हेट स्पीच के लिए स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है।

हालिया बयानों पर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लेने का आग्रह किया है।

उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि “संवैधानिक उल्लंघनों के खिलाफ चुप्पी या निष्क्रियता” से “स्वयं संविधान की नैतिक प्रामाणिकता क्षीण हो सकती है।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश अशुतोष कुमार को लिखे पत्र में नागरिकों ने उच्च न्यायालय का ध्यान (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश के हालात पर कब तक तटस्थ रहेगा भारत?

बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ निरंतर बढ़ती हिंसा को लेकर भारत में यह सवाल पूछा जा रहा है

- चुनाव नज़दीक आने के साथ हिंसा और तेज हो गई है। पर, भारत ने अपने बॉर्डर सील कर रखे हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है।
- लेकिन मुद्दा यह है कि अगर ऐसे ही हिंसा बढ़ती रही तो भारत को अंततः बॉर्डर खोलना पड़ेगा, इससे भारत में भी नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

अपरिहार्य हो सकता है।

ऐसी स्थिति पूर्वी भारत के राज्यों पर भारी दबाव डाल सकती है। जैसे- जैसे बांग्लादेश की हालत दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है, भारत को, बढ़ते संकेत को रोकने के लिए मामले को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

देश कुलमिलाकर अनिश्चितता का सामना कर रहा है और प्रधानमंत्री शेष हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद, सत्ता संभालने वाली अंतरिम सरकार शासन की ठीक व्यवस्था देने में बुरी तरह असफल रही है।

आज, शुक्रवार 6 फरवरी को, बांग्लादेश में सरकारी कर्मचारियों ने वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधन की मांग को लेकर बड़ा

प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हिंसक हो गया और भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस, साउंड ग्रेनेड और अन्य डराने वाले तरीकों का इस्तेमाल किया गया।

तथापि, गुस्साएं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और अंतरिम सरकार के प्रमुख, मोहम्मद यूनूस के आवास के पास पहुंच गए। जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, तो पुलिस ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी।

इस बीच, बांग्लादेश में 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं और इस्लामी संगठन किसी भी तरह सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामी जमात पार्टी ज्यादा समर्थन पाने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रैपिड रेल के लिए देश भर में भारी रूझान

दिल्ली के बाद केरल में भी रैपिड रेल योजना को मंजूरी दी गई

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 फरवरी। भले ही नई दिल्ली और मेरठ के बीच 82 किमी दूरी को जोड़ने वाली भारत की पहली रैपिड रेल का औपचारिक उद्घाटन होना अभी बाकी है, लेकिन यह अवधारणा राजनीतिक नेताओं और नीति-निर्माताओं का आकर्षण पैदा कर चुकी है। 29 जनवरी को मेट्रो और शहरी रेल परिवहन की नोडल एजेंसी, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने पहले चरण में 93 किमी लंबे दिल्ली-बावल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मंजूरी दी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 32,000 करोड़ रुपये है और इसमें 22 स्टेशन होंगे, जो मानेसर और बावल जैसे औद्योगिक केंद्रों को सेवा देंगे।

दूसरे चरण में बावल से बहरोड़ तक लाइन का विस्तार किया जाएगा। हरियाणा सरकार पहले ही दिल्ली-शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़ और

- केरल सरकार ने तिरुवनन्तपुरम और कासरगोड के बीच 583 किलोमीटर लम्बे रैपिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी, जिसमें मौजूदा मेट्रो सिस्टम को भी जोड़ा जाएगा।
- दिल्ली में अभी नई दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले रैपिड रेल कॉरिडोर का औपचारिक उद्घाटन होना बाकी है। पर, शहरी आवास एवं नगर विकास मंत्रालय ने दिल्ली-बावल के बीच 93 किलोमीटर के रैपिड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है।
- संसद में प्रस्तुत इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में 2900 किलोमीटर लम्बे रेल मार्ग पर रैपिड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

दिल्ली-पानीपत परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है।

वामपंथी शासित केरल सरकार ने भी तिरुवनंतपुरम से कासरगोड को जोड़ने वाले 583 किमी लंबे

आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण की योजना को स्वीकृति दी है, जिसमें भारत को मौजूदा मेट्रो प्रणालियों के साथ एकीकरण की योजना है और चरणबद्ध (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रशांत किशोर की याचिका खारिज

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जन सुराज पार्टी को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2025 के बिहार

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव हारने के बाद आप चुनाव को रद्द करवाना चाहते हैं, जब यह योजना चल रही थी, तब हमारे पास कोई नहीं आया, और वैसे भी आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए।

विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक राज्य कल्याण योजना का दुरुपयोग किया गया था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

देश के लिए पदक जीत चुके पैरालंपिक खिलाड़ी निहाल सिंह को ढाई साल बाद भी नियुक्ति नहीं

राजस्थान सरकार के युवा मामलात एवं खेल विभाग ने उन्हें 29 सितंबर 2023 को “असिस्टेंट एक्साइज़ ऑफिसर” के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की थी

- हैरानी की बात यह है कि आबकारी विभाग ने पद नहीं होने का हवाला देकर निहाल सिंह को नौकरी देने से मना कर दिया।
- पिछले ढाई साल में सरकार और कोर्ट में लगातार चक्कर काटने के बावजूद पीड़ित को न्याय नहीं मिला, जबकि, हाई कोर्ट में भी कई बार सुनवाई हो चुकी है।
- निहाल सिंह का कहना है कि, राजस्थान सरकार ने पैरालंपिक खिलाड़ी, अवनी लेखरा, सुंदर गुर्जर और देवेन्द्र झांझड़िया को तो “असिस्टेंट कन्जर्वेटर फॉरेस्ट” के पद पर नियुक्तियां दे दीं, परंतु मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है।”

मामले को पूरक सूची (सप्लीमेंट्री लिस्ट) में सूचीबद्ध किया है, ताकि मामले की सुनवाई अवश्य हो। इस मामले में याचिकाकर्ता की

ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद पैरवी के लिए पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि निहाल सिंह, भारत की पैरालंपिक टीम के सदस्य हैं। उनकी

टीम ने 20 से ज्यादा पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। वे खुद भी पेरिस पैरालंपिक गेम्स-2024 तथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भाग लेकर मैडल जीत चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि पर राजस्थान सरकार ने उन्हें “ए-श्रेणी” के खिलाड़ियों में दर्ज किया था। साथ हीगत 29 सितंबर 2023 को “असिस्टेंट एक्साइज़ ऑफिसर” के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की थी। परंतु 4 दिसंबर 2023 को ही अतिरिक्त आबकारी आयुक्त ने पद नहीं होने का हवाला देकर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब मामला विशेष योग्यजन आयुक्त के पास पहुंचा तो उन्होंने 12 नवंबर 2024 को आबकारी कमिश्नर को पत्र लिखकर इस संबंध में नियुक्ति की कार्रवाई करने के लिए कहा। परंतु (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ में बदलाव अचानक नहीं हुआ

यह लम्बी चली बैंक चैनल वार्ताओं, अहम् के टकराव, रणनीतिक तालमेल की कहानी है

- बाज़ार जिसे बड़ी सफलता बता रहे हैं, वह असल में खुले टकराव के बाद आई कूटनीतिक शांति का नतीजा है।
- भारत व अमेरिका के बीच पिछले साल भारी तनाव उत्पन्न हो गया था, जब डॉनल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ लगाया था। उन्होंने भारत पर, बाज़ार, खासकर कृषि एवं डेयरी सेंक्टर, नहीं खोलने व रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड देने का आरोप लगाया।
- पर, भारत ने इसके लिए टकराव के बजाय बातचीत से समाधान का रास्ता चुना, साथ ही यह संकेत भी दिया कि भारत किसी दबाव में नहीं आएगा। धीरे-धीरे भारत के रणनीतिक प्रयासों का असर दिखने लगा और ट्रंप का रूख नरम पड़ा और अंततोगत्वा उन्होंने 18 प्रतिशत टैरिफ के साथ ट्रेड डील घोषित कर दी।
- लेकिन ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि टैरिफ में बदलाव भारत की मंज़िल नहीं है, यह मंज़िल के रास्ते का एक पड़ाव अवश्य है, अभी एक लंबा रास्ता तय करना है।

बाद हुई नेता स्तर की कई बातचीत ने संबंध सुधार के संकेत दिए। इसका

औपचारिक नतीजा इस सप्ताह सामने आया। भारतीय निर्यात के ज्यादातर

सामानों पर अमेरिकी टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया, रूसी तेल

से जुड़े अतिरिक्त दंड को हटा दिया गया और द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को नई गति मिली। भारत के लिए, जो अपने कुल निर्यात का लगभग पांचवां हिस्सा अमेरिका भेजता है, यह राहत वास्तविक है।

लेकिन यह पूरी जीत नहीं थी और न ही कोई व्यापक समझौता था। टैरिफ दरों का यह पुनर्निर्धारण सीमित है। स्टील, एल्यूमिनियम और तांबा अभी भी सेक्शन 232 के तहत 50 प्रतिशत टैरिफ में फंसे हुए हैं। कई ऑटो पार्ट्स पर अभी भी लगभग 25 प्रतिशत शुल्क लगता है। यह छूट नहीं मिलने से उन मैनुफैक्चरिंग क्षेत्रों को नुकसान होता है, जिन्हें भारत उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए बढ़ाना चाहता है। चीन से सप्लाई-चेन को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- जस्टिस शर्मा सीरियल बम ब्लास्ट पर खंडपीठ का हिस्सा रह चुके हैं।

अलग कर लिया। ऐसे में एंक्टिंग सीजे अन्य खंडपीठ का गठन करेंगे। दरअसल, सरवर आजमी और शाहबाज हुसैन की अपील पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ के जज समीर शर्मा ने स्वयं को अलग कर लिया। जस्टिस समीर जैन उस खंडपीठ का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने पूर्व में सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आरोपियों को निचली अदालत से मिली फांसी की सजा को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया था।